The Times of India- 23- December-2022

Panel calls for greater use of recycled water

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To curb illegal extraction of groundwater for development projects in the capital, the Delhi State Expert Appraisal Committee (SEAC) has recommended the use of recycled water at such sites.

A committee member said the move aimed at reducing the dependence of the user agencies on water supply departments, such as DJB, which had limited water to supply. The idea was discussed during several meeting of SEAC and the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), the most recent held on December 9, of which minutes were released recently.

"More than 15 important projects in Delhi are stuck or delayed due to unavailability of water. This includes hospitals and group housing complexes to count a few. A project proponent has two options, either procure water from DJB or seek permission from the DM to dig tubewells. If we turn a blind eye, then illegal extraction happens. So how will a project go ahead? " the official added.

SEAC pointed out that high cost of water supplied through DJB could be avoided if the project installed a reverse osmosis plant or used some other technology to treat wastewater.

"DJB is often not in a position to supply the water requested by a user agency. Beside, the water being supplied for commercial purpose is costly... if the user agency is treating water itself, it would cost much less," an official said. Asked where the development agencies could procure the water from, officials said that it could be from different sources like drains or the STPs.

Millennium Post- 23- December-2022

Env panels suggest user agencies to treat their wastewater: Officials

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In an effort to curb illegal groundwater extraction for development work in Delhi, two government panels that assess the impact of projects on the environment have recommended that user agencies install technology to recycle water within their premises, officials have said.

The move will also reduce dependence of the user agencies on departments like the Delhi Jal Board for water supply and prevent delays in their work, a member of the Delhi State Expert Appraisal Committee (SEAC), which advises the government on environmental clearance to development projects, said.

The issue was discussed at multiple meetings of the SEAC and the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in October and November. The member quoted above said the two panels are of the view that inconsistent water supply or no supply from the DJB leads to delays in the work and illegal extraction of groundwater for development projects.

"If a user agency requests the DJB to give 20 million litres of water a day, the utility is able to provide only four MLD.

"Also, a kilo litre of water costs Rs 300 for commercial consumption, which is not economical either. If the project proponents install their own reverse osmosis plants, a kilo litre of water will cost them around Rs 50," he reasoned. The user agency will have to procure only 20 per cent water from the DJB to compensate for the RO reject water.

The Economic Times- 23- December-2022

Amar Ujala- 23- December-2022

स्कूलों में मिले हाथ धोने का साबुन, बच्चों को पढ़ाया जाए स्वच्छता का पाठ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा देने और छात्रों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को स्टैंड-अलोन पाइप जलापूर्ति समाधान और सरल, टिकाऊ सौर समाधान के प्रावधान को तेजी से ट्रैक करने के लिए कहा गया है।

केंद्र ने कहा- शिक्षकों को किया जाए प्रशिक्षित

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त सलाह में कहा, बेहतर सुविधाएं समेत बुनियादी ढांचे का कायाकल्प और सरकारी स्कूलों में समग्र स्वच्छता बनाए रखना लंबे समय से सरकार की प्राथमिकता रही है। एजेंसी

Rashtriya Sahara- 23- December-2022

राज्य सभी स्कूलों में दें हाथ धोने की सुविधा : शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे देशभर के अपने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा तैयार करें। इन स्कूलों में हाथ धोने के लिए साबुन भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ छात्रों को स्वच्छता की शिक्षा देने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाए।

- साथ ही साफ-सफाई की आदतों पर जोर देते हुए सामुदायिक परियोजना चलाई जाए
- कई शौचालयों को सिंगल पिट से डबल पिट में बदला जाए

यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन (यूडाइस) रिपोर्ट 2021-22 में दर्ज है कि शौचालयों तथा हाथ साफ करने की सुविधाओं में कुछ खामियां हैं। अब केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इन सभी खामियों को अंतिम सीमा तक दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा, साबुन सहित हाथ धोने की सुविधायें सभी स्कूलों में तैयार की जाए। यह भी जरूरी है कि स्वच्छता के सम्बंध में सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। इस उद्देश्य के लिये हर स्कूल में कम से एक शिक्षक को स्वच्छता शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाए, जो दिलचस्प गतिविधियों के जरिए बच्चों को प्रशिक्षित करे। साथ ही साफ-सफाई की आदतों पर जोर देते हुये सामुदायिक परियोजना चलाई जाए।

स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में साफ-सफाई की अच्छी आदतें डालने के लिये एनसीईआरटी ने पूरक पाठ्यक्रम में स्वच्छता पर एक अध्याय जोड़ा है। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे स्वतंत्र रूप से कार्यरत नल से जलापूर्ति समाधानों तथा सरल, सतत सौर समाधानों के प्रावधानों में तेजी लायें।

शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त परामर्श-पत्र (परामर्शी-एडवाइजरी) में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की सुविधाओं में सुधार, सुरक्षित पेयजल के प्रावधान तथा बुनियादी अवसंरचना को दोबारा कार्यशील बनाना सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्कूलों में सभी शौचालय काम करने की स्थिति में हों। बहरहाल, इनमें से कई शौचालयों को सिंगल पिट से डबल पिट में बदला जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुछ कार्यक्रमों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और जल जीवन मिशन को अभियान-स्वरूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में खुले में शौच से मुक्ति तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्य को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के क्रम में लक्ष्य तय किया गया है कि कोई भी स्कूल इस परिधि से बाहर छूटने न पाये।

परामर्श में यह भी कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों, आगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है, ताकि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित हो सके। इस महत्त्वपूर्ण पहल को अभियान स्वरूप में दो अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को, खासतौर से महामारी के दौर में, सुनिश्चित कर बड़े बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। अब तक यूडाइस प्लस 2021-22 के अनुसार, लगभग 10.22 लाख सरकारी स्कूलों में से पेयजल सुविधा 9.83 लाख (लगभग 96 प्रतिशत) स्कूलों में उपलब्ध करा दी गई है

परामर्श में उल्लिखित है कि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे स्कूलों के लिये ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना तैयार होने का इंतजार किये बिना स्वतंत्र रूप से नल से जलापूर्ति समाधान उपलब्ध करा दें। साथ ही सरल और सतत सौर समाधान भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

Hari Bhoomi- 23- December-2022

डल झील की पाइप लाइनों में जमा पानी

श्रीनगर। श्रीनगर में बुधवार की रात, इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। ठंड के कारण डल झील की

जलापूर्ति लाइनों में पानी जम गया। अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। इससे पिछली रात शहर का न्यूनतम तापमान शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया था। ठंड के कारण घाटी में कई स्थानों पर जलापूर्ति करने वाली डल झील की पाइपलाइनों में पानी जम गया।